RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Transfer Petition No. 91/2024

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Amit Julka S/o Shri Ajay Julka, Aged About 44 Years, R/o House No. A-504, Soumya Sky Legend Near D-Mart, Jagatpura Jaipur (Raj)

----Petitioner

Versus

1. State of Rajasthan, Through PP
2. Smt. Alpa Julka D/o Late Shri Lalit Porwal, Aged About 42 Years, R/o House No. A-504, Soumya Sky Legend Near D-Mart, Jagatpura Jaipur (Raj) Present Residence B-402, Glg Complex Near R.K. House Fatehpur Choraha Udaipur (Raj)

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Satya Narayan Gupta, Adv.
For Respondent(s) : Mr. Vijay Singh Yadav, PP
Mr. Prakash Chand Thakuriya, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

16/04/2026

याची/अभियुक्त की ओर से यह याचिका अंतर्गत धारा 447 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.) प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 219/2023 महिला थाना (उदयपुर), जिला उदयपुर अंतर्गत धारा 498A, 406 भारतीय दण्ड संहिता में प्रस्तुत प्रकरण संख्या 86834/2024 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 2, उदयपुर से अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 14, सांगानेर, जयपुर महानगर–प्रथम में अंतरित किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

(Uploaded on 17/04/2026 at 01:44:16 PM)
(Downloaded on 20/04/2026 at 09:01:49 PM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

याची/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि जयपुर महानगर–प्रथम के न्यायक्षेत्र के अंतर्गत स्थित सांगानेर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में घटना घटित हुई है। याची/अभियुक्त जयपुर का निवासी है और उस पर यह आरोप है कि उसने जयपुर में स्थित अपने मकान पर प्रत्यर्थी संख्या 2 को दहेज की मांग कर प्रताड़ित किया। ऐसी स्थिति में धारा 197 बी.एन.एस.एस. में वर्णित प्रावधानों के तहत जयपुर महानगर न्यायक्षेत्र में स्थित सांगानेर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में घटना घटित होने से उसी न्यायालय को प्रकरण की सुनवाई व विचारण का क्षेत्राधिकार है। अतः उक्त प्रकरण को न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 2, उदयपुर से न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 14, सांगानेर, जयपुर महानगर–प्रथम में अंतरित किया जावे।

प्रत्यर्थी संख्या 2/परिवादिया के विद्वान अभिभाषक व विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होने से पूर्व प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई थी, ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत यह प्रकरण विचारण योग्य नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह तथ्य आया है कि उदयपुर में भी प्रत्यर्थी संख्या 2 को याची/अभियुक्त ने दहेज के लिए प्रताड़ित किया था। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 2, उदयपुर में घरेलु हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र लंबित है। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने पारिवारिक न्यायालय, संख्या 1, उदयपुर में भी विवाह विच्छेद की याचिका अंतर्गत धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम प्रस्तुत कर रखी है, जो भी वर्तमान में लंबित है। इसी प्रकार उदयपुर में ही प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत धारा 125 दं.प्र.सं. का प्रार्थना पत्र भी लंबित है। ऐसे में उदयपुर में उक्त प्रकरणों के लंबित रहने

(Uploaded on 17/04/2026 at 01:44:16 PM)
(Downloaded on 20/04/2026 at 09:01:49 PM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

तथा प्रश्नगत प्रकरण का क्षेत्राधिकार उदयपुर स्थित न्यायालय का बनने के आधार पर प्रकरण को उदयपुर न्यायक्षेत्र से जयपुर न्यायक्षेत्र में अंतरित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः याची/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत याचिका अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

मैंने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

सर्वप्रथम यहां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 197 को उल्लेखित किया जाना न्यायोचित होगाः—

> *"197. Every offence shall ordinarily be inquired into and tried by a Court within whose local jurisdiction it was committed."*

वर्तमान प्रकरण के तथ्यों के अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 2/परिवादिया ने याची/अभियुक्त के विरुद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 219/2023 महिला थाना (उदयपुर), जिला उदयपुर में धारा 498ए, 406 भा.दं.सं. के तहत दर्ज करवाई थी, जिसमें याची/अभियुक्त के विरुद्ध उदयपुर स्थित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाना बताया गया है। घटना की रिपोर्ट में प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से विवाह से पहले दोनों पक्षों द्वारा उदयपुर में समारोह किये जाने और बारात के समय मिलनी की रस्म में सोने के सिक्के दिये जाने की मांग याची/अभियुक्त द्वारा किया जाना बताया गया है। घटना की रिपोर्ट में अप्रेल—मई, 2022 में परिवादिया के उदयपुर आने पर याची/अभियुक्त द्वारा उदयपुर आकर परिवादिया को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाना और अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया जाना घटना की रिपोर्ट में बताया गया है। दिनांक 26.05.2023 को जब परिवादिया ट्रेन से उदयपुर आ रही थी, उस समय भी याची/अभियुक्त ने परिवादिया को अभद्र गालियां व धमकी दिया

(Uploaded on 17/04/2026 at 01:44:16 PM)
(Downloaded on 20/04/2026 at 09:01:49 PM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

जाना घटना की रिपोर्ट में बताया गया है। रिपोर्ट में यह तथ्य भी आया है कि परिवादिया के उदयपुर में रहने के दौरान याची/अभियुक्त ने धमकियां और अभद्र गालियां देकर परिवादिया का जीना हराम कर दिया और अनर्गल बातें कर व निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग कर परिवादिया को प्रताड़ित किया।

वस्तुतः अपराध जयपुर में ही कारित हुआ हो, उदयपुर या अन्य किसी स्थान पर नहीं हुआ हो, यह तथ्य इस स्तर पर घटना की रिपोर्ट में अंकित तथ्यों से स्पष्ट नहीं होता है। जहां विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में अपराध होता है, वहां के स्थानीय क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र के न्यायालय में प्रकरण का विचारण किया जा सकता है, इस संबंध में धारा 178 दं.प्र.सं. को यहां उल्लेखित किया जाना न्यायोचित होगाः—

"178. Place of inquiry or trial.—(a) When it is uncertain in which of several local areas an offence was committed, or

(b) where an offence is committed partly in one local area and partly in another, or

(c) where an offence is a continuing one, and continues to be committed in more local areas than one, or

(d) where it consists of several acts done in different local areas,

it may be inquired into or tried by a Court having jurisdiction over any of such local areas."

इसके अतिरिक्त परिवादिया के विद्वान अभिभाषक ने हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह विच्छेद याचिका, घरेलु हिंसा से संबंधित याचिका व धारा 125 दं.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उदयपुर स्थित न्यायालयों में लंबित होना बताया है। ऐसे में इस स्तर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या

(Uploaded on 17/04/2026 at 01:44:16 PM)
(Downloaded on 20/04/2026 at 09:01:49 PM)

219/2023 महिला थाना (उदयपुर), जिला उदयपुर से संबंधित आरोप पत्र को उदयपुर स्थित न्यायालय से जयपुर महानगर–प्रथम न्यायक्षेत्र में अंतरित किये जाने का कोई न्यायसंगत व उचित आधार नहीं है।

अतः याची/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह याचिका अंतर्गत धारा 447 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

संलग्न लंबित प्रार्थना पत्र, यदि कोई हों, भी निस्तारित किये जाते हैं।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI /55

(Uploaded on 17/04/2026 at 01:44:16 PM)
(Downloaded on 20/04/2026 at 09:01:49 PM)